

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१०१७
दिनांक : २-६-२०२३

सम्बद्धता आदेश

असामगरण गजट नोटिफिकेशन असम-१९७५/७९-पि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथारपोषित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) के धरा-३७(२) के परन्तुके अधीन एक्यूरेट विजनेस स्कूल, प्लाट न०-४९, नोलेज पार्क तृतीय, ग्रेटर नोएडा को दैनिक एवं विज्ञान सकायान्तर्गत स्नातक त्तर पर वी०वी०५० एवं वी०सी०५० पाठ्यक्रम (एक-एक संक्षण) में स्वीकृत दीर्घित योजनान्तर्गत कठिपय शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०२० से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्णतापूर्वी प्रदान कर दी है।

- ०१ सरथा द्वारा उ०प्र० राज्य पिथरविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धरा-३७(२) में प्राविधिकान्ति परन्तुके अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों का दूसरा कर लिया जायेगा अन्यथा अगले ऐक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रयोग प्रतिविधित रहेगा।
- ०२ क्लियर तत्त्वानों/महाविद्यालयों के संरक्षण सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्णतापूर्वी प्राप्ति के निर्गत आदेशों में दृगित तत्त्व से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने गे यदि समय लगाना रामायित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कठियों की पूर्ति से सम्बन्धित क्लियर नहान्देयालयों रो एक माह गे प्राप्त ऊर्जा ले लेगा।
- ०३ संस्थान/महाविद्यालय राशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में दृगित कठियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय कुलसंघित को इस आवाय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निर्देश दूसरी कर रहा है।
- ०४ सम्बन्ध गासनादेश रख्या-२४५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उत्स्थित दिशा-निर्देशों द्वारा उत्तर प्रदेश में समाचार-सामग्री पर निर्गत शारनादेशों का पालन करेगी।
- ०५ दृगित सरथा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्तीत तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता पर उन्हीं निरन्तरता को सुनिरिच्छत नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश सम्बन्ध विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रविधानों के अन्तर्गत सरथा को प्रदान वीं गई सम्बद्धता वापस लिये जानी की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- ०६ दृगित कार्य विधिक की स्थीकृति दिनांक ०९.११.२०२० के आलोक में एक्यूरेट विजनेस स्कूल, प्लाट न०-४९, नोलेज पार्क तृतीय, ग्रेटर नोएडा (एक-एक संक्षण) में स्वीकृत योजनान्तर्गत कठिपय शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०२० से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्थीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त प्रबन्धक्रम ने छात्रों के प्रदेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जारी हैं।

गवर्दीय,

(१५२८६२-२२)
फूलसागिय

प्रतीक्षित -

- ०१ अप्र० उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- ०२ अप्र० एक्यूरेट विजनेस स्कूल, प्लाट न०-४९, नोलेज पार्क तृतीय, ग्रेटर नोएडा।
- ०३ अप्र० विश्वविद्यालय (लखनऊ) को सूचनार्थ।
- ०४ अप्र० अप्र० नेतृत्व और विधि विभाग एवं विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- ०५ अप्र० अप्र० विधि विभाग एवं विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- ०६ अप्र० विधि विभाग (प्रोफेसर/परिवार) नेतृत्व और विधि विभाग एवं विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- ०७ अप्र० इन्डियन एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सेवा विभाग को उपरोक्त दीर्घित योजनान्तर्गत सारांश/पाठ्यक्रम का नाम वैदराइट पर आलने का काम कर।
- ०८ गाई वाइब एवं

फूलसागिय

